अतिआवश्यक

# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (पंचायती राज)

एफ.13 (192)परावि/विधि/अव./12/ 197 जयपुर,दिनांक : 26.02.2013

## :: आदेश ::

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार की गई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं जनता जल योजनाओं के रूप मे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है।

जनता जल योजनाओं में कार्यरत 17 श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी दिलाने हेतु न्यायालय प्राधिकारी न्यूनतम वेतन सीकर में प्रकरण संख्या एम.डब्ल्यू. 3/06 दायर किया जिसमें न्यायालय प्राधिकारी न्यूनतम वेतन सीकर ने दिनांक 9.10.07 को पृथक–पृथक आदेशों द्वारा न्यूनतम वेतन दिये जाने हेतु आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में पृथक–पृथक सिविल रिट याचिकाएं दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.1.12 को आदेश पारित करते हुये प्राधिकारी न्यूनतम वेतन सीकर का आदेश दिनांक 9.10.07 बहाल रखते हुये न्यूनतम वेतन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 वर्ष पूर्व की बजाय 6 माह पूर्व से भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में पृथक–पृथक डी.बी.सिविल स्पेशल अपीलें प्रस्तुत की गई जो दिनांक 6.9.12 के आदेश से खारीज कर दी गई।

डी.बी. के उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. संख्या 3517/2013 दायर की गई, जिसमें दिनांक 18.2.13 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के डी.बी. के आदेश दिनांक 6.9.12 को स्टे करते हुये रेसपोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 को 1 फरवरी 2013 से न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत राशि भुगतान करने के आदेश दिये है।

इसी दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में एक सिविल रिट याचिका संख्या 15098/2012 प्रदेश जनता जल योजना श्रमिक यूनियन द्वारा दायर की गई है, जिसमें दिनांक 5.11.12 को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करते हुये उच्च न्यायालय के डी.बी.सिविल स्पेशल अपील के आदेश दिनांक 6.9.12 के अनुसार श्रमिक यूनियन के सदस्यो को आगामी वेतन दिवस से न्यूनतम वेतन के आदेश देते हुये एरियर की राशि 3 माह में भुगतान करने के आदेश दिये गये है।

उक्त आदेश की पालना नही होने पर प्रदेश जनता जल योजना श्रमिक यूनियन ने अवमानना याचिका संख्या 1481/12 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 19.2.13 को राज्य सरकार द्वारा सभी संबंधित श्रमिकों को उन्हें दिये जाने वाले भुगतान दिनांक 5.3.13 तक किये जाने का आश्वासन दिया गया है। इसी दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील दिनांक 6.9.12 को स्टे करने एवं श्रमिकों को 1 फरवरी 2013 से न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत राशि भुगतान करने का अन्तरिम आदेश पारित किये जाने से माननीय उच्च न्यायालय जयपुर

पीठ में विचाराधीन अवमानना याचिका में उक्तानुसार जनता जल योजना में कार्यरत प्रदेश जनता जल योजना कर्मचारी संघ के समस्त अंशकालीन पम्प चालको को दिनांक 1.2.13 से प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश पारित किये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उक्त निर्देशों की पालना में न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत भुगतान किये जाने की पालना रिपोर्ट दिनांक 5.3.13 को प्रस्तुत की जानी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशों की पालना में जनता जल योजनाओ में कार्यरत समस्त अंशकालीन श्रमिको (पम्प चालक) को वर्तमान में देय पारिश्रमिक 1000/– प्रतिमाह प्रतिस्रोत्र के स्थान पर माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एल.पी. संख्या 3517/2013 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन दिनांक 1 फरवरी 2013 से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 166 प्रतिदिन की 50 प्रतिशत राशि रूपये 83 प्रतिदिन के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृती प्रदान की जाती है।

अतः दिनांक 1.2.13 से योजनान्तर्गत कार्यरत अंशकालीन श्रमिको (पम्प चालक) को दी जा रही पारिश्रमिक राशि 1000/– प्रतिमाह प्रतिस्रोत्र के स्थान पर अब वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 166 प्रतिदिन की 50 प्रतिशत राशि रूपये 83 प्रतिदिन (Rs. Eighty three per day) के आधार पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जावे।

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, वित्त विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
9. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
10. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त।
11. जिला प्रमुख, जिला परिषद समस्त।
12. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
13. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
14. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।
15. प्रधान, पंचायत समिति समस्त।
16. सहायक विधि परामर्शी, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
17. सम्पादक, राजस्थान विकास, मुख्यालय।
18. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
19. प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपविधि परामर्शी